संख्या-06/2020/864/77-6-2020-4(बजट)/2017

प्रेषक,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक- 13 मार्च, 2020

विषयः अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाई को योजनान्तर्गत अवस्थापना ब्याज उपादान वितरित करने हेतु रू. 2,55,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के पत्र संख्या-1905/वि0नि0/वियोवि'//2019-20 दिनांक 28-02-2020 एवं पत्र संख्या-1533/वि0नि0/वियोवि'/मुख्या0/2019-20 दिनांक 11-12-2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के अन्तर्गत पात्र 01 इकाई हेतु धनराशि रू0 2,55,000.00 (रूपये दो लाख पचपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) इस धनराशि का वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष से आहरण किया जायेगा।

(2) यह धनराशि सीधे जिस इकाई को भुगतान किया जाना है उसके खाते में आहरित कर जमा की जायेगी।

(3) यह धनराशि उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा पात्र इकाई की उपलब्ध करायी गयी सूची (संलग्नक) में उल्लिखित इकाई के बैंक खातें में सीधे आरटीजीएस के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा।

(5) यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्याः 1385/77-6-12-08(एम)/12 टी.सी.I दिनांक 30-11-2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हों।

(6) यह धनराशि ऐसी पात्र इकाइयों, जिनका प्रत्यावेदन उ0प्र0 वित्तीय निगम में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।

(7) उक्त योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अवस्थापना सुविधा के सृजन हेतु लिए गए ऋण पर किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-03-2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा उ0प्र0वित्तीय निगम को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर के माध्यम से शासन को उपलव्ध कराया जाएगा।

(12) उक्त के संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।

2- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशासकीय संख्या- ई-6-210(1)/दस-2020 दिनांक 05.03.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीया,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-06/2020/864(1)/77-6-2020-4(बजट)/17तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।

2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।

3- उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर को उनके पत्र संख्या-1905/वि0नि0/वियोवि'//2019-20 दिनांक 28-02-2020 एवं पत्र संख्या-1533/वि0नि0/वि.यो. वि./मुख्या0 /2019-20 दिनांक 11-12-2019 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6

7- नियोजन अनुभाग-1/4

8- औद्योगिक विकास अनुभाग-2

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in